

क.

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासक।



सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

3. निदेशक,
आर०आई०एम०एस०, सैफई, इटावा।

2. कुलपति,
सी०एस०एम०एम०यू०,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2010

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2043/71-3-2001-328/92, दिनांक 11 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या-2041/71-3-2001-328/92, दिनांक 11 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या-2789/71-3-2001-328/92, दिनांक 29 अगस्त, 2001 तथा शासनादेश संख्या-2787/71-3-2001-328/92, दिनांक 29 जुलाई, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों/छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ तथा उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2010-11 तथा उसके पश्चात् वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित होने वाले छात्रों से लिया जायेगा।

2- आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी।

3- संलग्न सूची में इंगित "अन्य शुल्क" से तात्पर्य लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कालेज डे, मैगजीन, छात्र कल्याण, कम्प्यूटर, मेस व स्पोर्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकॉलॉजी तथा क्लिनिकल सोसायटी, एजुकेशनल टूल्स इत्यादि हेतु लिये जाने वाले शुल्क तथा "प्रवेश शुल्क" से तात्पर्य पंजीकरण, एनरोलमेंट, मेडिकल इक्जामिनेशन, पैथोलॉजी टेस्ट, एक्स रे, ब्लड ग्रुप, परिचय-पत्र, प्रशासनिक व्यय आदि मदों में लिये जाने वाले शुल्क से है।

4- थीसिस प्रोफार्मा, थीसिस तथा परीक्षा सम्बन्धी शुल्क उपरोक्त के अतिरिक्त देय होंगे, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय/राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5- शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क एवं काशनमनी दो छमाही किस्तों में दी जा सकती है।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई०-3-1170/दस-2010, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

20/8/10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

(ME)

18-10

शासनादेश संख्या- 22110 /71-3-10-328/91, दिनांक 20 अगस्त, 2010 का संलग्नक

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क

रु0 18000/- प्रतिवर्ष

2. अन्य शुल्क

रु0 4000/- प्रतिवर्ष

3. विकास शुल्क

रु0 2000/- प्रतिवर्ष

4. प्रवेश शुल्क

रु0 2000/- केवल प्रवेश के समय

5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)

रु0 10000/- केवल प्रवेश के समय

6. छात्रावास शुल्क

सिंगल सीटेड

रु0 300/- प्रतिमाह

डबल सीटेड

रु0 200/- प्रतिमाह

ट्रिपल सीटेड/अधिक

रु0 100/- प्रतिमाह

7. विद्युत उपभोग

रु0 200/- प्रतिमाह

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क

रु0 24000/- प्रतिवर्ष

2. अन्य शुल्क

रु0 4000/- प्रतिवर्ष

3. विकास शुल्क

रु0 2000/- प्रतिवर्ष

4. प्रवेश शुल्क

रु0 2000/- केवल प्रवेश के समय

5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)

रु0 10000/- केवल प्रवेश के समय

6. छात्रावास शुल्क

निःशुल्क

7. विद्युत उपभोग

रु0 500/- प्रतिमाह

(नवदीप रिनवा)
विशेष सचिव।